

प्रारूप सात
(नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क 44सन 1973)की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र ।

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता : अयोध्या प्रसाद नर्मदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
सदर बाजार कैंट जबलपुर ।
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख : पंजीयन क्रमांक 167 दिनांक 21/01/1932
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख : 25/05/2026
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल 25/05/2026 से 25/05/2029

| क्रं | नाम | पिता/पति का नाम | पता | धारित पद | मुख्य व्यवसाय | हस्ताक्षर |
|------|----------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 | श्रीमती मीना श्रीवास्तव | श्री चमन श्रीवास्तव | 01 कटंगा हिल्स रघुनाथ जी का बाड़ा कैंट जबलपुर | अध्यक्ष | आर्मी/पुलिस यूनिफार्म सप्लायर | Meena |
| 2 | श्री चमन श्रीवास्तव | स्व0रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव | 01 कटंगा हिल्स रघुनाथ जी का बाड़ा कैंट जबलपुर | उपाध्यक्ष | पुलिस आर्मी यूनिफार्म सप्लायर | |
| 3. | श्री धवल श्रीवास्तव | श्री अजीत श्रीवास्तव | 1523 नेपियर टाउन होमसाइंस कालेज रोड जबलपुर | प्रबंधक | कम्पनी सेक्रेट्री | |
| 4 | श्री सिद्धेश्वर श्रीवास्तव | श्री सर्वेश्वर श्रीवास्तव 'चमन' | 01 कटंगा हिल्स कैंट जबलपुर | सहप्रबंधक | अधिवक्ता | Maryank |
| 5 | श्री अजीत श्रीवास्तव | स्व0गोविंद सहाय श्रीवास्तव | 1523 नेपियर टाउन होमसाइंस कालेज रोड जबलपुर | सदस्य | सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर | |
| 6 | श्रीमती जागेश्वरी द्रविड़ | श्री तुलसी दास द्रविड़ | ओबेरॉय परिसर रेल्वे कासिंग के बाजू से हाथीताल जबलपुर | सदस्य | सेवानिवृत्त शिक्षिका | Jind |
| 7 | डॉ0राधिका श्रीवास्तव | श्री तरुण सक्सेना | 01 कटंगा हिल्स मोदी बाड़ा सदर कैंट जबलपुर | सदस्य | दंतचिकित्सक | Radhika |
| 8 | श्री जयराज पिल्ले | स्व0कृष्णा पिल्ले | जी0के0हुसैन कम्पाउण्ड सदर बाजार जबलपुर | सदस्य | निजी संस्थान में कर्मचारी | |

- 5 मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1973 (कं0 44 सन् 1973)की धारा 27 के अधीन रूपये 2000/- की वार्षिक फीस चालान क्रमांकदिनांक 08/06/2027 के द्वारा जमा कर दी गई है । उसकी मूल प्रति संलग्न है ।

मैं श्रीमती मीना श्रीवास्तव पति श्री चमन श्रीवास्तव आयु 65 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है । सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं । मैं यह जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2)के अधीन दण्डनीय होगा ।

Meenu Shrivastava
अध्यक्ष
ए.पी.नर्मदा उ.मा.शाला
जबलपुर कैंट